

1.4 प्रमाणवशीलता

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अधीन विनियमित पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त एवं संबंधित विश्वविद्यालयों से निर्धारित विधिक अंतिम तिथि तक संबद्धता प्राप्त प्रवेश के समर्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों, जिन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ‘शिक्षण संस्था’ कहा जाएगा, पर तथा प्रवेश के इच्छुक आवेदकों पर लागू होंगे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की याचिका (सिविल) 276/12 एवं इससे संबंधित आईए. 8 दिनांक 28.06.2013 में निर्शित किए गए कैलेण्डर के अनुसार सत्र 2023–24 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जून, 2023 तथा अकादमिक सत्र प्रारंभ करने की तिथि 01 जुलाई, 2023 निर्धारित है।

1.5 संस्थाओं में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजन

(क) मध्यप्रदेश में संचालित होने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.ए.ड., ए.म.ए.ड., बी.पी.ए.ड., ए.म.पी.ए.ड. (दो वर्षीय), बी.ए.ड.–ए.म.ए.ड. (एकीकृत तीन वर्षीय) बी.ए.बी.ए.ड., बी.एससी.बी.ए.ड. एवं बी.ए.ल.ए.ड. (एकीकृत चार वर्षीय) तथा बी.ए.ड. (अंशकालीन–तीन वर्षीय) आदि।

पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :-

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अन्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का शेषी एवं वर्गीकरण आवंटन इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पृथक से उल्लिखित आरक्षण संबंधी कण्ठिका तथा उसकी उप कण्ठिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 75 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे और अधिकतम 25 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 26.09.2014 के निर्देशानुसार स्थानीय निवासी हेतु रव-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारूप 5 अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर की डल्लूपी. 5436/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जायेगी। इसमें अजगा/जगा/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक विद्यार्थियों तथा 50 प्रतिशत और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को क्रमशः 01:01 के अनुपात में प्रवेश दिया जायेगा, द्वितीय चरण के उपरांत यदि संस्था में कुल स्वीकृत सीट संख्या में 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक आवेदकों से पूर्ण नहीं होती है तो, तृतीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सीटें रिक्त बनने पर शेष रिक्त सीटों की पूर्ति गुणानुक्रम के आधार पर की जायेगी।

(ग) महिला महाविद्यालयों में पुरुष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है। ऐसे महाविद्यालय पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन जारी मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त सूची में उनके नाम के समक्ष महिला महाविद्यालय दर्ज है।



1.6 प्रवेश प्रक्रिया की संबोधित जानकारी :

प्रवेश प्रक्रिया निम्न क्रमानुसार राम्यन होगी—(विस्तृत विवरण पृथक से संबंधित कठिकाओं में उपलब्ध है) संस्थाओं को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के एचट में दिये गये प्रावधानों के तहत् संबंधित पाठ्यक्रम का सत्र 2023–24 के लिये निर्धारित शुल्क का विनियमन करवाकर आयुक्त, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करने पर ही ऑनलाइन 'काउंसलिंग' में शामिल किया जा सकेगा, अन्यथा रिथित में प्रवेश प्रक्रिया से पृथक रखा जाएगा।

01 : प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन—एम०पी० ऑनलाइन द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण तथा महाविद्यालय की वरीयता (शुल्क सहित) व्यक्त किया जाना होगा।

02 : दस्तावेजों का सत्यापन —

1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अर्हकारी दस्तावेजों को रक्कीन कर अपलोड करेंगे, हेल्प सेटर (शासकीय महाविद्यालय) दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे।

2. आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन न होने की रिथित में आवेदक द्वारा निर्धारित तिथियों में निर्धारित हेल्प सेटर, जो कि चयनित शासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय हैं, (परिशिष्ट-3 एवं 4) में स्वयं उपरिथित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करने एवं प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा।

03 : मेरिट सूची का प्रकाशन :

अहंताकारी परीक्षा के प्राप्ताक एवं बी.पी.एड., एम.पी.एड. हेतु वाचित अन्य प्राप्ताकों (कमशः कठिका 5.1 एवं 5.2 अनुसार) के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके आवेदकों की मेरिट सूची/ समेकित मेरिट सूची एम०पी० ऑनलाइन द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

वर्ष 2023–24 में अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता स्नाताक निर्धारित है, के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्ताकों के आधार पर मेरिट सूची प्रकाशित की जायेगी तथा अनन्तिम प्रवेश दिया जायेगा। सृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित होने के उपरांत उसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रवेश को अंतिम रूप से गान्य किया जाएगा।

04 : एम.पी. ऑनलाइन द्वारा सीट आवंटन हेतु आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीयन एवं वरीयता व्यक्त करना।

आवेदकों को प्रवेश हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये एम०पी० ऑनलाइन की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि में पोर्टल शुल्क जमा करते हुए पंजीयन एवं महाविद्यालयों की वरीयता व्यक्त करनी होगी। बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कमशः किटनेस, प्रोफिसिएनली टेस्ट अनिवार्य होगा। पंजीकृत आवेदकों को गुणानुक्रम एवं महाविद्यालय की व्यक्त वरीयता के आधार पर मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन उपरांत प्रत्येक संबंधित पाठ्यक्रम के महाविद्यालयों हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कट ऑफ की जानकारी के साथ, सीट-आवंटन —पत्र (Seat-Allotment-Letter) जारी किये जायेंगे।

05 : आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश

विद्यार्थियों के हित में प्रवेश शुल्क किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करते हुए यह प्रस्तावित है कि ऑनलाइन सीट आवंटन उपरांत आवेदक को शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि आयुक्त, उच्च शिक्षा, गोपाल के खाते में एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होगी। शेष आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किश्तों में डिजीटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया तथा पाठ्यक्रम शुल्क : आवेदकों को संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई) के रेग्युलेशन 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है।

2.1 शैक्षणिक योग्यता :

क्र.	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक योग्यता/पात्रता	शिवार्क
1	बी.एड.	<ul style="list-style-type: none"> स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषय) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) या अन्य समकक्ष परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि कमशः दीन एवं दो वर्ष मात्र्य 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
2	एम.एड	<ul style="list-style-type: none"> बी.एड./बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड./ बी.एल.एड में 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष घेड के साथ अथवा डी.एल.एड के साथ स्नातक उपाधि (दोनों) में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
3	बी.पी.एड	<ul style="list-style-type: none"> किसी विषय में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा कम से कम ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय/अंतर क्षेत्रीय / जिला / विद्यालय रत्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी। अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा किसी विषय में स्नातक डिग्री (शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के साथ) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। अथवा स्नातक डिग्री न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय/राज्य रत्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी अथवा ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर क्षेत्रीय / जिला / विद्यालय रत्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान। अथवा अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के साथ स्नातक डिग्री अथवा संबंधित संघी/ए.आई.यू./आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, अथवा तृतीय स्थान। 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट

		अथवा	
		<ul style="list-style-type: none"> स्नातक डिग्री न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुमत (प्रतिनियुक्ति सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक / कोच) 	
4	एम.पी.एड.	<ul style="list-style-type: none"> स्नातक डिग्री शारीरिक शिक्षा (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा रचारथ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान (बी.एस.सी.) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
5	बी.एड— एम.एड	<ul style="list-style-type: none"> स्नातकोत्तर डिग्री (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषय) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम दो वर्ष मान्य 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
6	बी.ए.—बी.एड.	<ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
7	बी.एस.सी. बी.एड	<ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक + 2 या इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
8	बी.एल.एड	<ul style="list-style-type: none"> हायर सेकेण्डरी परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण 	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट
9	बी.एड. (अंशकालीन तीन वर्षीय)	<ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पूर्णकालिक अध्यापक जिन्होंने विज्ञान / मानविकी/सामाजिक विज्ञान में स्नातक डिग्री तथा / अथवा स्नातकोत्तर डिग्री / विज्ञान और गणित की पृष्ठभूमि / विशेषज्ञता सहित इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। 	—

(क) बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु —

स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि (विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विषयों में) 50 प्रतिशत अंकों के साथ, इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी (विज्ञान एवं गणित विशेषज्ञता) में 55 प्रतिशत अंकों के साथ या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जाएगा, जिनकी पाठ्यक्रम अवधि छमश्स न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया— अहताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी०एड० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होगे।

(ख) एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ बी०ए८०/बी०ए०बी०ए८०/बी०एसती०बी०ए८०/बी०एल०ए८० अथवा बी०एल०ए८० के साथ स्नातक उपाधि (दोनों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य) उत्तीर्ण आवेदक प्रवेश प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अहंतादारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया – अहंताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से एम०ए८० पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(ग) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिप्री और कम से कम एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर- महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी की हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिप्री।

अथवा

45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिप्री तथा एक अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो। अथवा 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिप्री और राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो अथवा एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर-महाविद्यालय/अंतर-क्षेत्रीय/जिला/विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के साथ स्नातक डिप्री अथवा संबंधित संघों/एआईयू/आईओए/एसजीएफआई/भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अथवा

45 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिप्री और कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव (प्रतिनियुक्त सेवाकालीन आवेदकों के लिए अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षक/कोच)। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अहंतादारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया— अहंताकारी परीक्षा को प्राप्तांक, फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा स्पोर्ट्स प्रोफेशियोरी टेस्ट में अर्जित बोनस अंकों के सम्बलित योग के आधार पर निर्मित समेकित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(घ) एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु –

(i) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक (बी.एससी)।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

प्रवेश प्रक्रिया — एम.एड. पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश अहताकारी परीक्षा के प्राप्ताक एवं स्पोर्ट्स प्रोफिशनलिटी टेस्ट में अर्जित बोनस अंकों के समिलित योग के आधार पर निर्मित समोक्त मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से होंगे।

(ळ) बी.एड.—एम.एड. (एकीकृत त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु—

(i) प्रवेश हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी विषयों में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उनके समकक्ष घेड की स्नातकोत्तर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
वाचनीय : यह वाचनीय है कि उम्मीदवारों की शिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रुचि और अनुभव हो।

(ii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अहतादायी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(iii) उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष की होगी।

प्रवेश प्रक्रिया — अहताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एड.—एम.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

(च) बी.ए.बी.एड., पाठ्यक्रम हेतु

मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया — अहताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.ए.बी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अहता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(छ) बी.एस.सी. बी.एड., पाठ्यक्रम हेतु

मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्चतर माध्यमिक +2 या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया — अहताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एस.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अहता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।

(ज) बी.एल.एड., पाठ्यक्रम हेतु

मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेन्डरी परीक्षा अथवा उसके समकक्ष स्वीकार की जाने वाली कोई अन्य परीक्षा में कुल गिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

प्रवेश प्रक्रिया — अहताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची एवं आवेदकों द्वारा व्यक्त वरीयताओं के अनुसार गुणानुक्रम से बी.एल.एड. पाठ्यक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

नोट : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित अंकों की शैक्षणिक अहता में 05 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी।